अल्पसंख्यक आयोग
अधिनियम
1991

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

पुराना सचिवालय, पटना

प्रस्तावना

अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1991 का हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ आम लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है । राजभाषा विभाग द्वारा इस अधिनियम का प्राधिकृत उर्दू पाठ तैयार होते ही उसे भी प्रकाशित किया जाएगा । हमारा प्रयास है कि अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं में भी अधिनियम की प्रतियां प्रकाशित करायी जाएं ।

अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद विशेष तौर पर आयोग के प्रति अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं । यही कारण है, आयोग को प्राप्त होनेवाली सूचनाओं तथा शिकायत-पत्रों की संख्या में भी प्रतिदिन वृद्धि हो रही है ।

आयोग ने अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों तथा कर्तव्यों की परिधि में यथासंभव प्रत्येक मामले में कारगर कदम उठाने की कोशिश की है । आयोग के प्रयासों से कई जटिल एवं वर्षों से लंबित मामलों का न्यायोचित निपटारा किया जा सका है । कई महत्वपूर्ण मामलों में आयोग के परामर्श से राज्य सरकार ने सार्वजनिक हित और न्याय के आधार पर फैसले किए हैं ।

परन्तु आयोग की अपनी सीमाएं भी हैं । आयोग किसी निर्वाचित सरकार का विकल्प नहीं है और न इसके हाथों में अपनी अनुशंसाओं के अंतिम कार्यान्वयन की कार्यपालक शक्तियां हैं । लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी आयोग को ऐसी शक्तियां दी भी नहीं जा सकतीं । ऐसी शक्तियों की चाहत रखना भी आत्मघाती है ।

हम आयोग को कानूनी अधिकार देने तथा कार्यपालिका स्तर पर इसकी सिफारिशों को प्रभावी आयाम देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद के प्रति आभार व्यक्त करते हैं । आयोग के कार्यों में उनकी व्यक्तिगत दिलचस्पी हमारी प्रेरणा का आधार है ।

जाबिर हुसेन

विधि विभाग

अधिसूचना संख्या एल. जी. 1-038/91 लेज-359
दिनांक 12 अगस्त, 1991

बिहार विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल 11 अगस्त, 1991 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

(बिहार अधिनियम 7, 1991)

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1991

राज्य के धार्मिक एवं भाषाई अल्प-संख्यकों के संविधान प्रदत्त अधिकारों को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने, उनसे संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, अन्वेषण एवं अन्य संबंधित विषयों के लिये एक आयोग की नियुक्ति और उसके कार्यों-कर्त्तव्यों के प्रावधान हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में बिहार राज्य के विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**—

(1) यह अधिनियम बिहार राज्य अल्प-संख्यक आयोग अधिनियम, 1991 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएं**—इस अधिनियम में जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "आयोग" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत गठित बिहार राज्य अल्प-संख्यक आयोग;

(ख) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ग) "अल्प-संख्यकों" से अभिप्रेत है बिहार राज्य में रहनेवाले धार्मिक एवं भाषाई अल्प-संख्यक वर्ग के लोग, जिन्हें सरकार ने ऐसे अल्प-संख्यक होने की मान्यता प्रदान की हो;

(घ) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये नियमों द्वारा विहित;

(ङ) "लोक सेवक" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित खंडों के अन्तर्गत आता है, यथा—

(i) कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्य के क्रिया-कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा या पद पर नियुक्त हो;

(ii) कोई ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित किसी प्राधिकार की सेवा में हो या उससे वेतन प्राप्त करता हो—

(क) राज्य का कोई स्थानीय प्राधिकार जो सरकारी गजट में अधिसूचित हो;

(ख) राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई बोर्ड या निगम जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो;

(ग) सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 या सोसाइटी निबंधन अधिनियम, 1860 के अधीन निबंधित कोई सोसाइटी जो राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन हो और राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में इस निमित्त अधिसूचित हो;

(घ) "राज्य" से अभिप्रेत है बिहार राज्य।

3. **आयोग का मुख्यालय**—(1) आयोग का मुख्यालय पटना में अवस्थित होगा।

(2) सरकार राज्य में आयोग का एक या इससे अधिक कार्यालय राज्य के किसी स्थान पर स्थापित कर सकेगी।

4. **आयोग का गठन**—(1) इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्य-रूप देने के लिये सरकार एक आयोग का गठन करेगी जो बिहार राज्य अल्प-संख्यक आयोग कहलायेगा।

(2) आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

5. **आयोग की पदावधि**—आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में मनोनीत किसी व्यक्ति की पदावधि उसके पद भार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की होगी :

परन्तु यह कि (क) आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य स्वहस्ताक्षरित लिखित रूप में सरकार को संबोधित कर अपना पदत्याग कर सकेगा।

(ख) यदि किसी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अयोग्य हो गया है या कदाचार अथवा कर्त्तव्यविहीनता या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया है, जिसके कारण जनहित में आयोग

से उसे हटाना आवश्यक हो गया है, तो राज्य सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा उसे उस पद से हटा सकेगी।

6. **आयोग के कार्य**—(1) आयोग के कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) राज्य के अल्प-संख्यकों की सुरक्षा के लिए भारत संविधान में एवं राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधियों में उपबंधित विभिन्न सुरक्षाओं के कार्यकरण की जाँच करना;

(ख) उप-खंड (क) में यथाउल्लेखित ऐसी सुरक्षाओं और विधियों के प्रभावी क्रार्यान्वयन और प्रवर्त्तन सुनिश्चित करने की दृष्टि से अनुशंसांएं करना;

(ग) राज्य के अल्प-संख्यकों के कल्याण हेतु राज्य सरकार की नीतियों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना;

(घ) राज्य के अल्प-संख्यकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिये अंध्ययन, शोध, विश्लेषण तथा अनुशंसाएं करना;

(ङ) ऐसी अनुशंसा करना, जो राज्य के अल्प-संख्यकों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक और समुचित समझी जाये;

(च) राज्य में साम्प्रदायिक सद्भावना सुरक्षित, बहाल एवं प्रोत्साहित करने के लिये अनुशंसा करना;

(छ) सरकार को विहित अन्तराल पर आवधिक रिपोर्ट भेजना।

(2) सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना निकाल कर, राज्य के अल्प-संख्यकों के कल्याण और उनकी शिकायतों के निराकरण के संबंध में आयोग को ऐसे अतिरिक्त कार्य सौंप सकेगी, जैसा कि समय-समय पर अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय।

7. **आयोग की हैसियत और परिलब्धियां**—सरकार आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यों को ऐसी हैसियत प्रदान करेगी और ऐसे वेतन-भत्ते का भुगतान करेगी तथा ऐसी अन्य सुविधाएं मंजूर करेगी जैसा कि समय-समय पर विहित किया जाय।

8. **अन्वेषण का अधिकार**—आयोग को व्यथित व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा परिवाद के जरिये या किसी अन्य विश्वस्त स्रोत से उसकी जानकारी में लाये गये निम्नलिखित मामलों की जांच करने का अधिकार होगा—

(क) भारतीय संविधान या राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधियों द्वारा अल्प-संख्यकों को दिये गये किसी अधिकार और सुरक्षा का उल्लंघन;

(ख) किसी अल्प-संख्यक समुदाय के पूजा-स्थल तथा कब्रगाह का अधिक्रमण;

(ग) ऐसी परिस्थिति या और कारण जो विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच घृणा या संघर्ष का वातावरण उत्पन्न करे, ऐसी स्थिति पैदा करने का कारण बने या लगे कि ऐसी स्थिति पैदा करेगा और;

(घ) राज्य के अल्प-संख्यकों के कल्याण, संरक्षण एवं सुरक्षा को प्रभावित करने वाला कोई अन्य मामला :

परन्तु आयोग किसी ऐसे मामले का अन्वेषण नहीं करेगा, जो किसी न्यायालय या अधिकरण या अर्द्ध-न्यायिक निकाय के समक्ष लम्बित हो।

9. अन्वेषण की प्रक्रिया—(1) यदि आयोग इस अधिनियम के अधीन जांच करने का प्रस्ताव करे तो वह—

(क) परिवाद की एक प्रतिलिपि या उसका सारांश संबद्ध प्राधिकारी, विभाग या लोक सेवक को भेजेगा और परिवाद में दिये गये विवरणों के संबंध में उसकी रिपोर्ट या मन्तव्य विनिर्दिष्ट समय के भीतर मांगेगा;

(ख) संबंधित स्थान पर व्यथित व्यक्ति या संस्था एवं संबंधित व्यक्तियों के साथ परिवादित मसले पर विचार-विमर्श हेतु आयोग या इसके किसी सदस्य के साथ बैठक नियत एवं आयोजित करेगा।

(2) यथा पूर्वोक्त के सिवाय किसी निश्चित मामले की जांच करने की प्रक्रिया वही रहेगी जैसा कि इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम में विहित है।

(3) इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण प्रारम्भ हो जाने से उस कार्रवाई पर या अन्वेषणाधीन मामले के संबंध में आगे कार्रवाई करने में लोक सेवक बाधित नहीं होगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के प्रयोजनार्थ आयोग किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से, जो उसकी राय में अन्वेषण से सुसंगत जानकारी प्रस्तुत करने या दस्तावेज पेश करने के योग्य हो, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी जानकारी प्रस्तुत करे या ऐसे दस्तावेज की प्रति पेश करे;

परन्तु वैसे दस्तावेज की प्रति की आपूर्त्ति नहीं की जायेगी जो राज्य

हित या जनहित के विरुद्ध हो।

(5) आयोग को निम्नलिखित विषयों के बारे में शक्तियां होंगी :—

(क) किसी भी व्यक्ति को आह्वान करे एवं उसे शपथ पर परीक्षा करे, वैसे व्यक्ति द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने या संदेह उपस्थित होने के मामले में आयोग के निर्देश की अवज्ञा करने पर, वह व्यक्ति आयोग की अनुशंसा पर सरकार द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई का उत्तरदायी होगा;

(ख) किसी कार्यालय से किसी सरकारी अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना;

(ग) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन बहाल करना;

(घ) अन्य ऐसे विषय, जो विहित किये जायें।

(6) किये जाने वाले अन्वेषण के स्वरूप और विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यदि सरकार की यह राय हो कि जांच कमीशन अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उप-धारा 2 या 3 या 4 अथवा 5 के सभी या कोई भी उपबंध आयोग पर लागू किया जाय तो सरकार, राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि सभी या उक्त उपबंध, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, आयोग पर लागू होगा और ऐसी अधिसूचना के निर्गत होने पर, उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

10. **एजेंसियों की सेवाओं के उपयोग करने की शक्ति**—आयोग, इस अधिनियम के अधीन, अन्वेषण संचालित करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार की पूर्व सहमति से राज्य सरकार के किसी पदाधिकारी या राज्य सरकार के अन्वेषी एजेंसी की सेवा का उपयोग कर सकेगा।

11. **आयोग को दिया गया बयान**—आयोग, धारा 10 में यथाउपबंधित पदाधिकारी या एजेंसी के समक्ष साक्ष्य देने के क्रम में आयोग को किसी व्यक्ति द्वारा दिये गये बयान का उपयोग उसके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी कार्यवाही में नहीं किया जा सकेगा और न ही इस बयान के आधार पर उसके विरुद्ध किसी प्रकार की दीवानी या फौजदारी कार्यवाही की जा सकेगी, किन्तु ऐसे बयान द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिये अभियोजन चलाया जा सकेगा।

12. **परित्राण**—इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक किये गये या किये जाने के लिये तात्पर्यित किसी कार्य या आयोग के अधिकार के अधीन दी गयी किसी रिपोर्ट या कार्यवाही के लिये आयोग या इसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कोई सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति, जो

आयोग के निदेशानुसार कार्य कर रहा हो, के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलायी जायेगी।

13. **रिक्तियों का भरा जाना या आयोग के गठन के परिवर्त्तन**—(1) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी भी सदस्य के पद त्याग के कारण या अन्यथा हुई किसी रिक्ति के होने पर भी आयोग कार्य करता रहेगा।

(2) सरकार किसी प्रक्रम में ऐसी रिक्ति भर सकेगी, जो आयोग में हुई हो।

(3) जहां आयोग के कार्यरत रहने के दौरान भरी गयी किसी रिक्ति के कारण या किसी अन्य कारण से आयोग के गठन में कोई परिवर्त्तन हुआ हो, वहां उस परिवर्तन के कारण आयोग द्वारा पहले से किये गये किसी अन्वेषण, कार्यवाही या कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

14. **अध्यक्ष आदि लोक सेवक होंगे**—आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या हर सदस्य अथवा हर पदाधिकारी जो इस अधिनियम के अधीन कार्य करने के लिये आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत हो, भारतीय दंड-संहिता 45, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तिर्गत लोक सेवक समझा जायगा।

15. **आयोग की प्रक्रिया**—इस निमित्त बनाये जाने वाले नियमों के अध्यधीन आयोग को अपनी प्रक्रिया, जिसमें बैठकों के स्थान एवं समय निर्धारण भी शामिल हैं, विनियमित करने का अधिकार होगा।

16. **आयोग का स्टाफ**—(1) सरकार के प्रशासनिक विभाग के सचिव या सरकार द्वारा मनोनीत कोई पदाधिकारी जो उप-सचिव से नीचे स्तर का न हो आयोग का पदेन सदस्य सचिव होगा।

(2) सरकार आयोग को ऐसा अन्य स्टाफ उपलब्ध करायेगी जैसा आयोग के सुचारू संचालन के लिए अपेक्षित हो।

17. **रिपोर्ट का उपस्थापन**—(1) आयोग इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के बारे में प्रति वर्ष एक समेकित रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) आयोग अंपने विवेक के अनुसार सार्वजनिक महत्व के किसी विपय के सम्बन्ध में समय-समय पर अपनी विशेष रिपोर्ट सरकार को देगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट या उप-धारा (2) के अधीन विशेष रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार व्याख्यात्मक संलेख के साथ उसकी प्रतिलिपि राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवायेगी।

18. **नियम बनाने की शक्ति**—(1) सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये उपबंध किया जा सकेगा;

(क) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की हैसियत का निर्धारण;

(ख) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य को देय वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलब्धियों तथा सेवा-शर्त्तों का निर्धारण;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या विहित किया जा सकता है या जिसके बारे में इस अधिनियम में कोई उपबंध है और सरकार की राय में इस अधिनियम के उचित कार्यान्वियन के लिए उपबंध करना आवश्यक है।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल चौदह दिनों की अवधि तक रखा जायेगा जो चाहे एक ही सत्र में पूरी हो या लगातार दो सत्रों में और यदि जिस सत्र में वह इस प्रकार रखा गया हो, उसके या उसके ठीक बाद वाले सत्र की समाप्ति के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने में सहमत हो जायें या दोनों सदन इसके लिये सहमत हो जायें कि वह नियम बनाया ही न जाय तदुपरान्त वह नियम यथास्थिति ऐसे उपांतरण रूप में ही प्रभावी होगा या प्रभावी ही न होगा फिर किसी उपांतरण या वातिलीकरण से उस नियम के अधीन पहले किये गये किसी कार्य की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा। ❑